न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सुपौल।

SC/ST- 43/2021

SC/ST P.S. Case No. 16/2021

दिनांक 04/10/2023

अभिलेख आज संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई वास्ते प्रस्तुत किया गया। संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि है कि प्रस्तुत वाद सूचक पवन राम के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त जटा शंकर लाल दास एवं ढोलू के विरूद्व धारा 341, 323, 420, 406, 504, 506/34 भा0दं0वि0 एवं 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त जटा शंकर लाल दास एवं ढोलू के विरूद्व धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र सं0 55/2021 दिनांक 30/11/2021 समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका 9, 10, 11, 45, 46, 47 एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री से आरोप पत्र के कंडिका 11 में वर्णित अभियुक्त के विरूद्व अग्रिम कार्यवाही वास्ते अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः आरोप पत्र कंडिका 11 में वर्णित **अभियुक्त जटा शंकर लाल दास एवं ढोलू के विरूद्व धारा विरूद्व धारा 341,323,504,406,420 भा0दं0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) SC/ST एक्ट के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।** वाद विचारण एवं निष्पादन हेतु निजी संचिका में रखा जाता है। पु0 20/12/23 वास्ते उपस्थिति

Nishi Kant Thakur
4/10/23

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–
सह–विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0),
सुपौल